<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील डिक्री/टी0ए0/4626/2005/भरतपुर
राजस्थान सरकार बनाम अलीहुसैन व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>13.10.2022</td><td>

खण्डपीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–

श्री शंकर लाल चौधरी, उप राज0 अभिभाषक अपीलांट।
श्रीमती पूनम माथूर, अभिभाषक रेस्पोडेंट।
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट।

<u>निर्णय</u>

यह अपील डिक्री अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर दिनांक 04.07.2005 प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादी द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलांट राज्य सरकार एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गत आराजी खसरा नंबर 1 रकबा 249 बीघा 18 बिस्वा भूमि जो कि गांव रूस्तमपुर तहसील नगर में स्थित है। उक्त भूमि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता छंगा के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है, किंतु उक्त भूमि को दौराने बंदोबस्त नया खसरा नंबर 1 रकबा 39.65 है0 दर्ज करते हुये इसे राजकीय सिवाय चक दर्ज कर दिया गया एवं उक्त कार्यवाही बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश व बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक दर्ज कर दिया गया जबकि बंदोबस्त विभाग को पुरानी प्रविष्ठियों को दोहराने का अधिकार है तथा उनको राजस्व रिकॉर्ड में परीवर्तन करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार भूमि मुतनाजा को राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक दर्ज किया गया है जो गलत है। परीक्षण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर वादी का नोटिस अपीलांट प्रतिवादी को दिया गया। अपीलांट प्रतिवादी द्वारा

</td><td>६</td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4626/2005/भरतपुर** **राजस्थान सरकार बनाम अलीहुसैन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद के कथनों को अस्वीकार किया गया। परीक्षण न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर 4 तनकीयात कायम की और उभयपक्ष की बहस सुनकर व साक्ष्य लेकर अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2004 द्वारा वादी के वाद को निरस्त फरमा दिया जिसके विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 ने अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के यहां प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2005 से अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2004 को अपास्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2005 न्याय एवं नियम के विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने सर्वमान्य कानूनी सिद्धांतों की अवहेलना करते हुये अपने न्यायिक विवेक का दुरूपयोग करते हुये अनियमित रूप से अपील में तारिख पेशी में परीवर्तन कर रेस्पो0/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी को स्वीकार कर लिया एवं यह प्रार्थना पत्र सीधे तौर पर ही पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा उन्होने इस प्रार्थना पत्र के साथ कोई शपथ-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया था। जिसका कि राजस्थान रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था किंतु उन्होने इन सभी कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रिया का उल्लंघन कर जो निर्णय पारित किया है वह काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.06.2005 के आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ जो नामांतरकरण संख्या 48 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई थी, उसमें नकल के लिए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4626/2005/भरतपुर** **राजस्थान सरकार बनाम अलीहुसैन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवेदन की तिथि दिनांक 17.06.2005 अंकित की गई तथा नकल दिनांक 27–06–2005 को तैयार की गई एवं दिनांक 30–06–2005 को पक्षकार को नकल दी गई। इससे स्पष्ट था कि दिनांक 25.06.2005 को यह नकल तैयार होकर अस्तित्व में नहीं थी। किंतु राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपने न्यायिक क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग कर उसे अनुचित लाभ पहुँचाने की गरज से यह सब कार्यवाही की गई है। इसलिए अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि गैर–मुमकिन पहाड़ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा यह भूमि नाकाबिल काश्त भूमि है। इस कारण ऐसी गैर–मुमकिन पहाड़ की भूमि का ना तो आंवटन नियमों के अनुसार आवंटन किया जा सकता है एवं ना ही धारा 16(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी दिये जा सकते है, किंतु राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर ने गैर–मुमकिन पहाड़ पर रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का जो निर्णय पारित किया है वह काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि आराजी मुतनाजा राजस्व रिकॉर्ड में गैर–मुमकिन पहाड़ भूमि अंकित है, इस कारण भी राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार भी गैर–मुमकिन भूमियां आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी तथा यदि कोई आवंटन कर भी दिया हो तो भी वह शुन्य प्रभावी था किंतु अपीलीय न्यायालय ने इन कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज कर गैर–मुमकिन पहाड़ की भूमि पर जो खातेदारी अधिकार प्रदान करने का निर्णय पारित किया है वह काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित खसरा नंबर 1 प्रतिवादीगण के पिता छंगा के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है उक्त भूमि का दौराने बंदोबस्त नया खसरा नंबर 1 रकबा 39.65 है0 दर्ज करते हुये इस राजकीय सिवाय चक दर्ज कर दिया गया एवं उक्त कार्यवाही बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4626/2005/भरतपुर** **राजस्थान सरकार बनाम अलीहुसैन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णय एवं डिक्री के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। बंदोबस्त विभाग को पुरानी प्रविष्ठियों को दोहराने का ही अधिकार है उनको राजस्व रिकॉर्ड में परीवर्तन करने का अधिकार नहीं है। फिर भी परीक्षण न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुये वादी का वाद खारिज कर दिया जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि जहां तक धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का सवाल है उक्त प्रावधान वर्तमान प्रकरण में लागु नहीं होता। क्योंकि यह प्रकरण भूमि पर खातेदारी मांगने के लिए नहीं है बल्कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्त करवाने के लिए है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी संवत् 2033–36 से स्पष्ट होता है कि भू–प्रबंध विभाग से पूर्व विवादित आराजी पर छंगा खातेदार अंकित किया जा चुका है लेकिन परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य को नहीं मानकर जो विवेचन किया है वह कानूनन गलत एवं तथ्यों के विपरीत था। अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण का पूर्ण परीक्षण व विवेचन करने के उपरांत ही निर्णय पारित कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलबध संपूर्ण दस्तावेजात व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का गहनता से अध्ययन किया गया।

इस अपील प्रकरण में उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के विवरण एवं दस्तावेजात के आधार पर स्पष्ट है कि इस प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में तनकी संख्या 3 के निस्तारण हेतु प्रकरण का पूर्ण परीक्षण व विवेचन करने के उपरांत अंकित किया है कि :–

‘‘ वादी द्वारा नकल खसरा गिरदावरी (EXP-1) जो पेश की है, उसमें गत खसरा नंबर पर कृषि शुन्य क्षेत्रफल के कॉलम में गैर–मुमकिन पहाड़ अंकित है। वादी द्वारा संवत् 2012 से हाल तक की नकल खसरा गिरदावरी पेश नहीं की। जिससे उसका कब्जा काश्त सिद्ध हो सके न ही उसने गत व हाल नक्शा ट्रेस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4626/2005/भरतपुर** **राजस्थान सरकार बनाम अलीहुसैन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

को पेश किया है। वादग्रस्त भूमि की किस्म गैर–मुमकिन पहाड़ है जो नाकाबिल आवंटन है। तथा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी योग्य नहीं है। मात्र संवत 2019 में राजस्व अभिलेख में अलौटी गैर खातेदार अंकित हो जाने मात्र से वादी स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करा पाने का अधिकारी नहीं हो जाता। अपितु उसे अपना अधिकार व कब्जा काश्त अभिलेख से प्रमाणित करना होगा। यह तनकी भी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।''

इसी प्रकार विवादित भूमि के संबंध में भू–प्रबंध विभाग ने भी प्रकरण की जांच व परीक्षण के उपरांत संबंधित सहायक भू–प्रबंध अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 31.05.1974 में विवादित भूमियों को राजकीय भूमियां सिद्ध पाने के आधार पर उन्हें राजकीय सिवाय चक श्रेणी की ही भूमि माना था। उक्त निर्णय को कहीं भी चुनौती देकर निरस्त करवाये जाने का निर्णय भी पत्रावली पर कहीं भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राज्य में लागु होने के समय की कोई जमाबंदी, खसरा गिरदावरी भी प्रस्तुत कर उसे प्रदर्श नहीं करवाया गया है, जिसके आधार पर तत्समय गैर निगराकार/वादी पक्ष के खातेदारी अधिकार दर्ज होना सिद्ध होते हो। जहां तक बाद के वर्षो में गैर–खातेदारी दर्ज होने का प्रश्न है उसके संबंध में भी किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विधिपूर्ण आदेश से उन्हें आवंटन/नियमन के आधार पर गैर–खातेदारी प्रदान की गई हो, ऐसा कोई निर्णय या आदेश प्रस्तुत कर प्रदर्श नहीं करवाया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित भूमियो के दिनांक 04.09.1956 में ईन्तकाल दर्ज होने से पुर्व यह भूमियां राजस्व रिकॉर्ड में कस्टोडियन भूमि दर्ज रही है। इस प्रकार की कस्टोडियन श्रेणी की राजकीय भूमि पर धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सीधे ही निजी खातेदारी अधिकार की घोषणा किया जाना पूर्णतः विधि विरूद्ध है।

परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4626/2005/भरतपुर** **राजस्थान सरकार बनाम अलीहुसैन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2005 अपास्त योग्य होने से अपास्त किया जाता है एवं परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 23.12.2004 बहाल रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य** **(राजेश्वर सिंह)** **अध्यक्ष**	